आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.05.2020	(see below)	

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–07/2020

खगेन विश्वकर्मा –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–देवली, थाना नं0–198, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–1458, रकवा–0.0157 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेनों के चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि मौजा–देवली, थाना नं0–198, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–1458, रकवा–0.0157 एकड़ जमीन भू–अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त भूमि वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 के औसत दर के आधार पर वर्ष 2016 में में मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, परन्तु वर्त्तमान में वर्ष 2017–18 में उक्त भूमि आवासीय भूमि है, न की कृर्षि भूमि। आवदेक द्वारा वर्त्तमान बाजार दर पर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा मुआवजा राशि सही आकलन कर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। वास्तविक संरचना स्थित रहने वाले हिस्से के भूखण्ड का मुआवजा आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर नियमानुसार भुगतान किया जान अपेक्षित है। तद्नुसार भू–अर्जन पदाधिकारी निर्मित संरचना एवं उसके वास्तविक क्षेत्रफल की जाँच करते हुए गणना के आधार पर उक्त आवासन से संबंधित आंशिक भूखण्ड के मुआवजा का भुगतान आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर किया जाना सुनिश्चित करायें। शेष आवास रहित खाली पड़े भूमि के विरूद्ध किये गये मुआवजा भुगतान के संबंध में अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है तद्नुसार वाद का निस्तार किया जाता है

(हस्ताक्षर) 29/5/20
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 29/5/20
अपर समाहर्त्ता,
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner